वन विकास कार्यों हेतु वित्त के स्त्रोत

वन विभाग को विभिन्न स्त्रोतों से वन विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं अन्य कार्यो हेतु राशि प्राप्त होती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य योजना

वानिकी सैक्टर :

इस सैक्टर के अन्तर्गत मुख्यतः वन्य जीवों के परिरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्यों के विकास एवं संधारण, 128वीं पैदल वाहिनी (प्रा.से.) पर्यावरण द्वारा वृक्षारोपण, भाखडा तथा गंग नहर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारापेण, एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध, वन भूमि के अन्य विभागों को प्रत्यावर्तन के कारण उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली एन.वी.पी., जैव विविधता संरक्षण के कार्यों पर किया जाने वाला व्यय शामिल हैं।

बाहरवां वित्त आयोग :

बाहरवें वित्त आयोग में विभाग के लिए पांच वर्षों हेतु स्वीकृत 25.00 करोड रूपये किये गये हैं। इस राशि से वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण, मीनार बंदी, प्रशिक्षण केन्द्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास, फ्रन्ट लाईन स्टॉफ के प्रशिक्षण तथा ई–गर्वेनेन्स पर व्यय किया जा रहा है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना :

जे.बी.आई.सी. जापान से सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक राज्य के 18 जिलों में कियान्वित की गई है। इस परियोजना की लागत 442.14 करोड रूपये हैं। परियोजना की अधिकांश गतिविधियां मार्च, 2008 तक पूर्ण हो चुकी है। परियोजना में लगभग 1.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है, जिन पर मार्च 2008 तक 387.36 करोड रूपये व्यय किया जा चुका है।

इस परियोजना की अवधि में वर्ष 2009–10 तक की अभिवृद्धि करने हेतु जे.बी. आई.सी. एवं राज्य सरकार सहमत हो चुके हैं। इसके लिए कुल 18.40 करोड रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

भू–संरक्षण :

इस योजना के अन्तर्गत पहाडी एवं कन्दराओं में वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से चलाई जा रही नदी घाटी परियोजनाओं में कराये गये कार्यों के संधारण के लिए राशि का राज्य हिस्सा के लिए 5.15 लाख का प्रावधान रखा गया है।

कार्य योजना :

कार्य योजना के अन्तर्गत बनास, लूणी एवं नदी घाटी परियोजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसका 90 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

1. जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन को रोकना।
2. जलग्रहण क्षेत्र में भूमि की योग्यता एवं आद्रता की प्रवत्ति को सुधारना।
3. जलाशयों को साद से पटने सेबचाने के लिए मृदा अपक्षरण को रोकना।
4. जल प्रवाह तथा अधिकतम जलप्रवाह आयतन कम करना।
5. जलग्रहण क्षेत्र के प्रबन्ध में जनभागीदारी निश्चित करना।
6. रोजगार के अवसरों का सृजन।

केन्द्र प्रवर्तित योजना :

केन्द्र सरकार द्वारा वानिकी सैक्टर में सांभर नम भूमि परियाजना के अन्तर्गत वानिकी एवं भू संरक्षण कार्य, एकीकृत वन सुरक्षा परियोजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध, बाघ परियोजना, रणथम्भौर तथा सरिस्का, घना पक्षी अभ्यारण्य के विकास, राष्ट्रीय मरू उद्यान के विकास तथा चिडियाघर सुधार हेतु राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त बनास, लूणी तथा नदी घाटी परियोजनाओं हेतु स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा राशि दी जा रही

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के जरिये भारत सरकार ने गांवों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिवस के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किया है। रोजगार प्रदान करने में स्थाई परिसम्मत्तियों के

निर्माण को महत्व दिया गया है तथा जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, सूखा निवारण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता में रखा गया है। इस तरह एक ओर इस अधिनियम से रोजगार प्रदान करते हुए जनसशक्तिकरण होगा वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण एवं वृक्ष रोपण जैसी गतिविधियों को बढावा मिलेगा। अतः विभाग द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर वनारोपण एवं वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण कार्यों को प्रस्तावित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को कियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड तथा करौली जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना शुरू की गई है। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही हैं। ग्राम पंचायतवार एवं पंचायत समितिवार एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये जा रहे हैं, जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर संशोधित किये जा सकेगें।

विभाग द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान में जल संरक्षण के अधिक से अधिक निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये हैं :–

- कन्टूर डाइक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बॉक्स ट्रेंच, वी–डिच आदि का निर्माण।
- क्षेत्र में वनारोपण के कार्यों को बढावा देने के लिए बांस के पौधों का कल्चरल कार्य।
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजडी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच खोदकर पुनरूउत्पादन से वृक्षों की तैयारी।
- ट्रेंचों के माउण्ट पर बीजारोपण।
- वन क्षेत्रों में नोचेज बनाकर रतनजोत, कुमटा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण।
- प्राकृतिक पौधों के सहारे औषधीय/आर्थिक महत्व की बेलों का बीजारोपण/पौधारोपण।
- विभागीय नर्सरियों में सुधार के काम।

- नये क्लोजर निर्माण एवं इनमें सुधार के कार्य।
- पुराने क्लोजर्स में दीवारों की मरम्मत एवं क्लोजर्स सुधार के कार्य।
- पुराने वृक्षारोपण का संधारण, चारागाह क्षेत्र का पुनर्विकास।

<u>वन विकास अभिकरण</u>

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम' (एन.ए.पी) नाम से एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में केन्द्र सरकार की शत प्रतिशत सहायता से पूर्व में क्रियान्वित की जा रही वनारोपण की चार योजनाओं को एक ही कार्यक्रम अन्तर्गत समाहित किया है। योजना का उद्देश्य आय के स्त्रोत में एक रूपता लाना, फील्ड स्तर पर राशि पहुंचाने में होने वाले विलम्ब को कम करना, योजना के क्रियान्वयन में अधिकाधिक जन सहभागिता प्राप्त कर सुनियोजित तरीके से कार्यों को सम्पादित करना है। वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों को इस योजना से निश्चित रूप से आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जिला स्तरीय वन विकास अभिकरणों (एफ.डी.ए.) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास अभिकरण वानिकी एवं मृदा संरक्षण कार्यों को वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से करवा रही है। वन विकास अभिकरणों की स्थापना प्रादेशिक/वन्य जीव वन मण्डल स्तर पर की गई है तथा इनका पंजीकरण राजस्थान सहकारिता पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत उप पंजीयक, सहकारिता द्वारा किया गया है।

राज्य में 33 वन विकास अभिकरणों का गठन किया जा चुका है जिनके द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

<u>मरू प्रसार रोक परियोजना</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में उडते रेतीले टिब्बों के स्थिरीकरण के लिए डी.डी.पी. के अन्तर्गत विशेष परियोजनाऐं (मरू प्रसार रोक परियोजना) राज्य के 10 जिलो कमशः जोधपुर, बाडमेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सीकर, चूरू, झुन्झुनू, नागौर एवं बीकानेर में शुरू की गई। डी.डी.पी. स्पेशल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य

वनीकरण के माध्यम से टिब्बा स्थरीकरण किया जाना है जिससे तेज हवाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान उडकर जाने वाली मिट्टी को रोका जा सके ताकि आबादी, यातायात एवं कृषि भूमि प्रभावित नहीं हो।

परियोजनान्तर्गत भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार को अंशदान 25 प्रतिशत रखा गया है। वर्ष 1999–2000 में योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ तथा वर्ष 2006–07 में अष्टम चरण स्वीकृत हुआ। प्रत्येक चरण की कार्य अवधि 5 वर्ष रखी गई। अष्टम चरण में 35,347 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 12,246 है. में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है जिस पर कुल 2927.50 लाख रूपये का व्यय हुआ है।

<u>साझा वन प्रबंधन सुदृढीकरण</u>

- साझा वन प्रबंधन अन्तर्गत राज्य में 4882 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का गठन, समितियों द्वारा 7.79 लाख हैक्टेयर वनों का प्रबंधन किया जा रहा है।
- समितियों के बैंक खातों में 4.33 करोड रूपये जमा उपलब्ध है।
- 3669 समितियों में महिला उप समितियां गठित की जा चुकी है।
- राजस्थान, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 1281 स्वयं सहायता समूहो का गठन किया गया है जिसमें से 607 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए गए है।
- सुरक्षा समितियों को वनों के विदोहन से आय प्रारम्भ हो चुकी है।

<u>राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम</u>

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता राशि से उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है।

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय नर्सरी।
2. किसान नर्सरी।
3. किसान प्रशिक्षण।

4. क्षेत्र विस्तार (कैप्टिव प्लान्टेशन)

इस योजना के अन्तर्गत 11 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाडा, बांरा, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाडा, प्रतापगढ एवं राजसमन्द में कार्य करवाये जा रहे हैं।

<u>नर्मदा नहर परियोजना :</u>

नर्मदा नहर परियोजना क्षेत्र में भूमिगत क्षार एवं लवण में वाटर लोगिंग के जरिये भूमि को खराब होने से बचाने एवं शेल्टर बैल्ट बनाकर नहरों में रेत जमा होने से रोकने व क्षेत्र के समग्र पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से नहरों के समानान्तर नहरी भूमि में वृक्षारोपण की परियोजना अवधि 2006–07 से 2013–14 तक राशि रूपये 2865.13 लाख राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त परियोजना हेतु सम्पूर्ण व्यय राशि सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के किनारे 1280 आर.के.एम. तथा अन्य नहरों के किनारे 2087 आर.के.एम. में क्षेत्र की जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल क्रमशः 3.20 लाख तथा 5.22 लाख कुल 8.42 लाख पौधे रोपित किये जावेगें।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में नहर में पानी नहीं आने के कारण परियोजना के अन्तर्गत कार्य नहीं करवाये गये। राज्य सरकार से रूपये 90.00 लाख की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्त में प्राप्त होने के कारण कुल 20.57 लाख का व्यय ही किया जा सका।

<u>पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल वृक्षारोपण परियोजना :</u>

राज्य में बायोफ्यूल को बढावा देने हतु मंत्री मण्डल आज्ञा 1/2007 द्वारा अनुमोदित बायोफ्यूल नीति की पालना में पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना की क्रियान्विति हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग द्वारा प्रसारित किये गये हैं। परियोजना के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने तथा बायोडीजल वृक्षारोपण में निवेश हेतु इच्छुक कम्पनियों द्वारा दिशा–निर्देशों में प्रस्तावित संशोधन एवं उनके द्वारा वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक

3.9.08 एवं 5.11.08 को बैठकें आयोजित की गई। आगामी बैठक दिनांक 5.1.2009 को रखी गई है।

गूगल के संरक्षण एवं विकास परियोजना

भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एण्ड फेमिली वैलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, योगा, एण्ड नेचर थेरेपी, यूनानी, सिद्धा एण्ड होम्योपेथी, आयूष, नेशनल मेडिसिनल प्लाण्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक एफ.एन जैड/18017/187/पी. आर.जी.ओ./राज–04/2006–07 एनएमपीबी दिनांक 01.10.2007 से 10.00 पौधे गूगल के तैयार करने हेतु 30.00 लाख रूपये वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक एवं पत्रांक एफ.एन जैड/18017/187/पी.आर.जी.ओ./राज–03/2006–07–एनएमपीबी दिनांक 04.04.2008 से 649 लाख रूपये के निम्न कार्य वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक कराने हेतु स्वीकृति जारी की है।

उक्त दोनो स्वीकृति के विरूद्ध नेशनल मेडिसिनल प्लाण्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से इस विभाग को वर्ष 2008 में कुल 210 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई जिसको राज्य के आय मद में जमा करवाया जाकर, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 4(38)वन/2008 दिनांक 10.11.2008 से इस वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले कार्यो हेतु 113.40 लाख का प्रावधान स्वीकृत कराया गया है।

National programmae on Promoting Conservation of Medicinal Plants and Traditional Knowledge and Enhancing Health and Livelihood Security (CCF II project)

यू.एन.डी.पी. सहयोग से भारत सरकार द्वारा एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर नॉडल एजेन्सी के रूप में मेडिसिनल पौधे के संरक्षण हेतु यह परियोजना पहली बार स्वीकृत होकर राजस्थान राज्य में वन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर द्वारा यू.एन.डी.पी. को जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया उसमे मेडिसिनल प्लाण्ट के विकास एवं संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की अलग–अलग 15 गतिविधियां है। जिसमें 4 गतिविधि वन विभाग के लिये, 4 स्वयं सेवी संस्था के लिये एवं 7 गतिविधियां स्वयं

एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर द्वारा क्रियान्वित करते हुए परियोजना के प्रस्ताव रखा गया है।

इस परियोजना में विभाग हेतु अंकित 4 गतिविधि में से केवल 2 गतिविधियां यथा रेपिड थ्रेट ऐसेसमेन्ट फॉर प्राईटाईज मेडिसिनल प्लॉण्टस स्पीसीस इन दी स्टेट एवं मेडिसिनल प्लॉण्ट्स कन्जरवेशन एरिया स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है।

वन विभाग में विकास कार्य सम्पादित करने की प्रणाली

वन विभाग में पीस रेट कॉन्ट्रेक्ट प्रणाली से कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियॉ के माध्यम से भी कार्य कराया जाता है।

कार्य की दर

विभाग में विकास कार्य बी.एस.आर. दरों पर कराया है। ये बी.एस.आर. दरें वन संरक्षक द्वारा अपने क्षेत्र हेतु जारी की जाती है।